फा. सं.9-1/2017-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(खाघान्न अर्थशास्त्र अनुभाग)

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 जनवरी, 2018

श्री कलीम अतहर खान,
12/26, सिविल लाइंस नार्थ ,
नियर के.जी.एन कालोनी,
पीलीभीत - 262001 ,
उत्तरप्रदेश

विषय: **जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, पंजीकरण संख्या DOEAS/R/2018/80007 के तहत श्री कलीम अतहर खान का स्वामीनाथन आयोग के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 16.01.2018 के पत्र का अवलोकन करें।

यह उल्लेखनीय है कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान मे रखकर कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय लेती है, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त हो सकें। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यो की सिफारिश करते समय सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार मूल्यों में प्रवृतियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, आदि को सम्मिलित करती है।

प्रो० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। सीएसीपी के सिफारिशो के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य भिन्न-भिन्न संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर उद्देश्य युक्त मानदंड पर आधारित होता है। अतः लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार में विकृति हो सकती है। इससे फसल पद्धति प्रभावित होगी जो की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप नहीं है और इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(पुनीत कुमार)
सहायक निदेशक